

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची / मेदिनीनगर / देवघर / हजारीबाग / चाण्डिल कम्पलेक्स / ईचा-गालूडीह
कम्पलेक्स / अग्रिम योजना, राँची ;
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित कार्यपालक अभियंता-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 18/12/18

विषय :- मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49S470180789460545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृति संख्या- 35/18-19, दिनांक-01.11.2018

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र.	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य	789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष - 46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन	05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य, विपत्र कोड :- 49S470180789460545	261.43

आवंटित राशि - ₹ दो करोड़ एकसठ लाख तैतालीस हजार मात्र।

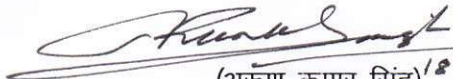
- आवंटित राशि वर्ष 2018-19 के बजट उपबंध राशि रु. 600.00 लाख (छः करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 तथा 2747(वि.), दिनांक-19.09.16 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति एवं स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1

8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली वजत मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी, 2019 तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यर्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

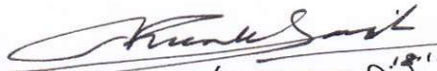

(अरुण कुमार सिंह) 18.12.18
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 94

रॉची, दिनांक :- 18/12/18

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉची/ दुमका/गोड्डा/देवघर/गढ़वा/मेदिनीनगर/बुण्डु/खूंटी/चाईबासा/चक्रधरपुर/गुमला/सिमडेगा/हजारीबाग/जमशेदपुर/घाटशिला/चाण्डिल सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।


(अरुण कुमार सिंह) 18.12.18
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- 94

रॉची, दिनांक :- 18/12/18

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।



(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)


(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव


(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1

(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक.....94

दिनांक 18/12/18

का अनुलग्नक

1/3

परिशि

मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य

लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

उप शीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन।

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण 45-निर्माण कार्य

विपत्र कोड- 49S470180789460545

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध रु. 600.00 लाख (छः करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2018 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति			
				राशि	प्रसंग		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	सिंचाई प्रमंडल, दुमका (DMKIRR002)	देवघर	योजनाओं के सामान्य वृहत एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिए विशेष घटक योजना	335.040	Online AA-1479/02.11.18	0.00	0.00	22.87	22.87	75219	प्रमंडल अंतर्गत 8 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान			
2	सिंचाई प्रमंडल, गोड्डा शिविर महगामा (GDDIRR001)					0.00	0.00	15.00	15.00	75220	प्रमंडल अंतर्गत 4 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान			
3	सिंचाई प्रमंडल, देवघर (DGRCMMF59)					0.00	0.00	1.20	1.20	75221	प्रमंडल अंतर्गत 2 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान			
4	जलपथ प्रमंडल, गढ़वा (GRHIRR004)	मेदिनीनगर				0.00	0.00	26.58	26.58	75222	प्रमंडल अंतर्गत 7 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान			
5	अनुसंधान प्रमंडल, गढ़वा (GRHIRR001)					0.00	0.00	5.56	5.56	75223	प्रमंडल अंतर्गत 4 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान			
6	कदवन बाँध प्रमंडल, नगर उटारी, गढ़वा (GRHIRR013)					0.00	0.00	2.99	2.99	75224	प्रमंडल अंतर्गत 2 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान			
7	जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर (PLMIRR003)					0.00	0.00	20.00	20.00	75225	प्रमंडल अंतर्गत 9 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान			
8	अग्रिम योजना प्रमंडल, पलामू (PLMIRR081)	मुख्य अभियंता अग्रिम योजना				0.00	0.00	3.00	3.00	75226	प्रमंडल अंतर्गत 4 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान			
9	आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, मेदिनीनगर (PLMIRR007)	मेदिनीनगर				0.00	0.00	1.86	1.86	75227	प्रमंडल अंतर्गत 4 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान			

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव(हमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

विपत्र कोड- 49S470180789460545

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध रु. 600.00 लाख (छ: करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2018 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				राशि	प्रसंग		पूर्व का आबंटन	वर्तमान आबंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	रूपांकण प्रमंडल सं.-2, मेदिनीनगर (PLMIRR001)	मेदिनीनगर	वित्तीय वर्ष 2018-19 में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड अंतर्गत सिंचाई दे रही वृहत एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के सामान्य सम्पोषण/अनुसूचण कार्य हेतु।	335.040	35/18-19 प्र.स्वी. दिनांक 01.11.2018 Online AA-1479/02.11.18	0.00	0.00	0.62	0.62	75229	नार्थ कोयल जलाशय योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
11	जलपथ प्रमंडल विशुनपुर पाटन (PLMIRR095)					0.00	0.00	8.50	8.50	75230	नार्थ कोयल जलाशय योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
12	रूपांकण प्रमंडल सं०-1, मेदिनीनगर (PLMIRR012)					0.00	0.00	2.78	2.78	75232	प्रमंडल अंतर्गत 2 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
13	जलपथ प्रमंडल, राँची (DRNMID043)	राँची				0.00	0.00	12.00	12.00	75233	प्रमंडल अंतर्गत 5 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
14	सिंचाई प्रमंडल, बुण्डु (RNCIRR011)					0.00	0.00	46.85	46.85	75235	प्रमंडल अंतर्गत 5 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
15	जलपथ प्रमंडल, खुँटी (RNCIRRK02)					0.00	0.00	12.00	12.00	75237	प्रमंडल अंतर्गत 2 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
16	जलपथ प्रमंडल, चाईबासा (SGHIRR008)					0.00	0.00	15.00	15.00	75239	प्रमंडल अंतर्गत 4 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
17	जलपथ प्रमंडल सं.-1, चक्रधरपुर SGHIRR016					0.00	0.00	5.00	5.00	75240	प्रमंडल अंतर्गत 6 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
18	जलपथ प्रमंडल, गुमला (GMLIRR001)					0.00	0.00	15.47	15.47	75241	प्रमंडल अंतर्गत 7 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
19	जलपथ प्रमंडल सं.-1, चैनपुर शिविर गुमला (GMLIRR004)					0.00	0.00	3.09	3.09	75242	अपरशंख दांयी मुख्य नहर का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
20	जलाथ प्रमंडल, सं०-2, चैनपुर, गुमला (GMLIRR008)					0.00	0.00	3.71	3.71	75243	अपरशंख बांयी मुख्य नहर का वार्षिक संपोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(रमेश कुमार)
विशेष सचिव(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

विपत्र कोड- 49S470180789460545

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध रु. 600.00 लाख (छः करोड़) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की		मार्च 2018 तैक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				राशि	प्रसंग		पूर्व का आबंटन	वर्तमान आबंटन	कुल आवंटित राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	जलपथ प्रमंडल, सं०-1, सिमडेगा (SDGIRR001)	राँची	वितीय वर्ष 2018-19 में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड अंतर्गत सिंचाई दे रही वृहत एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के सामान्य सम्पोषण/अनुरक्षण कार्य हेतु।	335.040	35/18-19 प्र.स्वी. दिनांक 01.11.2018 Online AA-1479/02.11.18	0.00	0.00	8.00	8.00	75244	प्रमंडल अंतर्गत 5 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
22	जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग (HZBIRR008)	हजारीबाग				0.00	0.00	13.24	13.24	75245	प्रमंडल अंतर्गत 11 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
23	जलपथ प्रमंडल, बरही (HZBIRR017)	हजारीबाग				0.00	0.00	10.00	10.00	75246	प्रमंडल अंतर्गत 5 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
24	तेनुघाट बाँध प्रमंडल, तेनुघाट (BKRIRR002)	हजारीबाग				0.00	0.00	1.88	1.88	75247	प्रमंडल अंतर्गत 3 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
25	खरकई बाँध प्रमंडल सं०-2, ईचा-चालियामा (SKLIRR025)	चाण्डिल/ईचा-गालूडीह				0.00	0.00	0.42	0.42	75248	प्रमंडल अंतर्गत 2 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
26	सुवर्णरेखा बाँध प्रमंडल सं०-2, चाण्डिल (SKLIRR028)					0.00	0.00	0.83	0.83	75249	पलना जलाशय योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं मौसमी मजदूर का भुगतान
27	लघु वितरणी प्रमंडल सं०-10, घाटशिला (JSRIRR022)					0.00	0.00	2.98	2.98	75250	प्रमंडल अंतर्गत 3 अदद सिंचाई योजना का वार्षिक सम्पोषण एवं नियोजित मौसमी मजदूरों के पारिश्रमिक का भुगतान
योग							0.00	261.43	261.43		
आवंटित राशि - ₹ दो करोड़ एकसठ लाख तैतालीस हजार मात्र।											

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)(रमेश कुमार दूब)
विशेष सचिव(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख-1(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव94
18/12/18